

1 प्ररूप सं. 13

(नियम 28 और नियम 37छ देखिए)

**कर की कटौती न करने पर या निम्न दर पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 और/या धारा 206ग की उप-धारा (9) के अधीन प्रमाणपत्र
के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन**

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

1. मैं.....निवासी.....यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे ऐसे आय/राशि के संदाय के समय, निम्न दर पर आयकर की कटौत न करने/कटौती करने के लिए प्राधिकृत है, मुझे आय/राशि संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रमाणपत्र जारी किया जाए। ब्यौरे उपाबंध I पर विनिर्दिष्ट हैं।

और/या

मैं..... निवासी.....यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे ऐसे आय/राशि प्राप्त के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाए:-

- (i) निम्न दर पर आयकर की कटौती के पश्चात् जैसा कि मेरे पास संदत्त करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा मेरे पास नहीं है और जिनकी संख्या से अधिक होने की संभावना है।
- (ii) नियम 28ख में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यष्टि के लिए दिए गए इस आवेदन के अनुसार आयकर की कटौती के बिना/ब्यौरा उपाबंध-II पर विनिर्दिष्ट है।

और/या

मैंनिवासी यह अनुरोध करता हूँ कि यथास्थिति, मेरे खते में ऐसी रकम या मुझसे प्राप्त के विकलन के समय निम्न दर पर आयकर को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत विक्रेता/पट्टाकर्ता/अनुज्ञापितकर्ता को प्रमाणपत्र जारी किए जाए। ब्यौरा उपाबंध-III पर विनिर्दिष्ट है।

2. मेरे आय की विशिष्टियाँ और अन्य सुसंगत ब्यौरे निम्नलिखित हैं:	
(i) प्रास्थिति (व्यक्तिगत, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि निकाय, कंपनी आदि का कथन करें)	
(ii) आवासिक प्रास्थिति (निवासी/अनिवासी) लेकिन सामान्यतः रहता नहीं/चाहे गये वर्ष के दौरान गैर-निवासी)	
(iii) 2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	
(iv) ई-मेल आईडी	
(v) मोबाइल सं.	
(vi) अधिनियम और धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन विद्यमान दायित्व के ब्यौरे:—	

1. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 द्वारा **25.10.2018** से प्रतिस्थापित।

2. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दायित्व						
निर्धारण वर्ष	अग्रिम कर के संबंध में संदेय रकम	स्वतःनिर्धारण कर के लिए संदेय रकम	रकम जिसके लिए धारा 156 के अधीन मांग की सूचना की तामील हो गई है किंतु संदत्त नहीं की गई है	कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता के रूप में संदेय रकम जो शोध्य हो गई थी किंतु संदेय नहीं की गई	धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन संदेय रकम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
(vii) पूर्ववर्ती वर्ष, जिससे संदाय/प्राप्ति संबंधित है						
(viii) ऊपर (vii) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष की प्राक्कलित कुल आय (कृपया पूर्ववर्ती वर्ष की कुल प्राक्कलित आय की संगणना अपलोड करें)						
(ix) (viii) में विनिर्दिष्ट कुल आय पर संदेय ब्याज सहित कुल कर						
(x) छूट के लिए दावाकृत आय का ब्यौरा और जिसमें (viii) की कुल आय सम्मिलित नहीं है (कृपया ऐसे छूट के दावे के लिए कारण देते हुए एक नोट अपलोड करें)						
(xi) आज की तारीख तक (vii) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अग्रिम कर और कटौती किए गए/संग्रहीत कर के संदाय के ब्यौरे, यदि कोई हों						
पूर्व संदत्त कर की प्रकृति			संदत्त कुल कर की रकम			
अग्रिम कर						
टीडीएस						
टीसीएस						
(xii) क्या धारा 10, धारा 11 या धारा 12 के अधीन छूट का दावा किया गया है (हां/नहीं) (यदि हां, तो कृपया आयकर प्राधिकारी)						
(xiii) जहां (vii) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्व किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आय की विवरणी को फाइल किया गया है, कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के कुल प्राक्कलित आय की संगणना अपलोड करें जिसके आय की विवरणी फाइल नहीं की गई है।						
(xiv) जहां किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी पेपर फार्म में फाइल की गई है, कृपया ऐसे विवरणियों की प्रति अपलोड करें।						
<p>मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि जैसा ऊपर अभिकथित किया गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सही, पूर्ण और सत्य है, मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट आय/राशि अधिनियम की धारा 60 और धारा 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है। मैं इसके अतिरिक्त यह घोषित करता हूँ कि जो भी आवेदन में अभिकथित किया गया है, वह सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं..... के रूप में अपनी सामर्थ्य में आवेदन करता हूँ और मैं इस आवेदन को करने और इसको सत्यापित करने में सक्षम भी हूँ। मैं ³[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक].....धारित करता हूँ (यदि आर्बिट्रित हो)।</p>						

3. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

तारीख		हस्ताक्षर	
स्थान		पता	

उपाबंध I
(स्रोत पर कटौती के प्रयोजन के लिए)
कृपया उन आय/राशि की बाबत, जिसके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों में प्रस्तुत करें-

क्रम सं.	संदाय करने वाले व्यक्ति की कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएस) या स्थायी खाता संख्या (पीएएस)	वह धारा जिसके अधीन स्रोत पर कर की कटौती की जानी है	प्राप्त किए जाने वाले आय/राशि की प्राक्कलित रकम	कटौती की अनुरोधित दर (कृपया जहां शून्य कटौती अनुरोधित है, वहां 0 भरें)
1	2	3	4	5

उपाबंध II
(स्रोत पर कटौती के प्रयोजन के लिए)
कृपया उन आय/राशि की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों में प्रस्तुत करें। (कृपया नियम 20कक के उप-नियम (4) में परंतुक के अधीन जारी प्रमाणपत्र को न्यायोचित करने वाला एक नोट अपलोड करें)

क्रम सं.	वह धारा जिसके अधीन स्रोत पर कर की कटौती की जानी है।	प्राप्त किए जाने वाले आय/राशि की प्राक्कलित रकम	कटौती की अनुरोधित दर
1	2	3	4

उपाबंध III

(स्रोत पर कटौती के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन संदेय रकमों की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों को प्रस्तुत करें।

क्रम संख्या	विक्रेता/पट्टाकर्ता/अनुज्ञप्तिकर्ता के कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएस) या स्थायी खाता सं. (पीएएस)	वह उपधारा जिसके अधीन स्रोत पर कर संग्रहीत किया जाना है (कृपया नीचे दिए गए उप-धाराओं में सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट करें)	कटौती/संदत्त की जाने वाली प्राक्कलित रकम	संग्रहण का अनुरोधित कर
1	2	3	4	5
तारीख		हस्ताक्षर		
स्थान		पता		